परन्तु गैरसायलान सं. 1 ता 4 सायल तारबन्दी हटाकर सींव डोल मिस्मार करने पर आमादा है गैरसायलान सं. 1 ता 4 ताकतवर व पैसे वाले व्यक्ति है तथा राजनेतिक पहुंच के व्यक्ति है जबकि सायल गरीब सीमान्त कृषक है उसकी लाचारी व कमजोरी का गैरसायलान फायदा उठाना चाहते है जबरिया सींव डोल मिस्मार करके अपने खेत का दायरा बढाना चाहते है सायल उन्हे पाबन्द करापाने का मजाज है। इसलिए अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा पाबन्द किया जावे की रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 91 के ख0न0 208 की 0.6320 हैक्ट, 210 की 2.2890 हैक्ट भूमि की सीवं व डोल को मिस्मार न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिय अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायल द्वारा सायल की भूमि की सींव व डोल को मिस्मार नही किया गया है सायल स्वयं द्वारा रास्ता को अवरूद्ध करने की कोशिश की गई है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता सं. 91 के ख.न. 208 की 0.6320 हैक्टर भूमि ख.न. 210 की 2.2890 हैक्टर भूमि 1.3788 हैक्टर भूमि सायल के कब्जा काश्त में है तथा उक्त भूमि के सायल की कदिम्बी सींव डोल कायम है तथा उक्त बंटवारा सहकाश्तकारान के मध्य 40 वर्षों से है सायल अपनी सींव डोल के भीतर अपने हिस्से की भूमि को काश्त करता है तथा सींव पर तारबन्दी कर रखी है तथा पुरानी झाड़ी पेड़ आदि से सींव कायम कर रखी है तथा गैरसायलान सं. 1 ता 4 वादी के पूर्वी सींव के पडौसी है तथा गैरसायलान झगडालु व लालची किस्म के व्यक्ति है गैरसायलान सायल की पूर्वी सींव की तारबन्दी व झाडी हटाकर हरे पेड काटकर सींव डोल मिस्मार करके सायल के खेत में जबरिया घुसने का प्रयास कर रहे है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो की अप्रार्थीगण द्वारा सींव व डोल को मिस्मार किया जा रहा हो, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:04 IST
Reason: SelfAttested

से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 12.12.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27/01/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 303/2024

अनवान : –

1. देवीसिंह पुत्र डुंगरसिंह जाति राजपुत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. कालुसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. गुमानसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. दानसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
4. सुल्तानसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपुत निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 27/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 91 की कुल 41.3360 हैक्ट भूमि में 3447/103340 हिस्सा भूमि सायला के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 132/35 की कुल 22.8490 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 ता 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल के हिस्से में बाहमी बंटवारा में रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता सं. 91 के ख.न. 208 की 0.6320 हैक्टर भूमि ख.न. 210 की 2.2890 हैक्टर भूमि 1.3788 हैक्टर भूमि सायल के कब्जा काश्त में है तथा उक्त भूमि के सायल की कदिम्बी सींव डोल कायम है तथा उक्त बंटवारा सहकाश्तकारान के मध्य 40 वर्षो से है सायल अपनी सींव डोल के भीतर अपने हिस्से की भूमि को काश्त करता है तथा सींव पर तारबन्दी कर रखी है तथा पुरानी झाड़ी पेड़ आदि से सींव कायम कर रखी है तथा गैरसायलान सं. 1 ता 4 वादी के पूर्वी सींव के पडौसी है तथा गैरसायलान झगडालु व लालची किस्म के व्यक्ति है गैरसायलान सायल की पूर्वी सींव की तारबन्दी व झाडी हटाकर हरे पेड काटकर सींव डोल मिस्मार करके सायल के खेत में जबरिया घुसने का प्रयास कर रहे है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होती है तथा ना ही पूरा होने वाला नुक्शन होता है गैरसायलान सं. 1 ता 4 [illegible] सायल की सींव के तार हटाकर अपना ट्रेक्टर से सींव मिस्मार करने की कोशिश की [illegible] सायल की हरी फसल चना को तीन चार हलाई तक खराब कर दिया सायल अस्थाई निषेधाज्ञा जारी गैरसायलान सं. 1 ता 4 के विरूद्ध इस आशय की जारी करा पाने का मजाज है कि सायल की पूर्वी सींव डोल को मिस्मार करने से निषिद्ध रहे। उपरोक्त आशयों की सायल घोषणा करापाने का अधिकारी है। सायल ने अपने खातेदारी भूमि को काश्त करके तारबन्दी कर रखी है ताकि पशु आदि फसल को नष्ट ना करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:04 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर